माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय,केन्द्रीय सूचना आयोग,नईदिल्ली

शिकायत/अपील सं0 – SA/UG/11/f8738tetn

File No. – CIC/SM/A/2011/001511 Dated- 30/05/2011

वीरेश कुमार चौबे बनाम सी0पी0आई0ओ0,माननीय उच्चन्यायालय,इलाहाबाद एवं अन्य

सम्माननीय श्रीमान ,

सद्भावपूर्वक सविनय निवेदन है कि ,

1– यह कि Joint Registrar (E)/CentralPublicInformationOfficer,High Court,Allahabad के Letter No.I.C.2962 Allahabad , Dated 16 July, 2011के द्वारा उपरोक्त कार्यवाही विचाराधीन रहने के दौरान एक बार फिर असद्भावपूर्वक तथा जानबूझ-कर अपूर्ण , गलत एवं भ्रामक सूचना दी गयी है–

"Your complaint dated 28/08/2005 was also dealt with your application dated 12/09/2006 on which the Administrative Judge passed the order on 13/02/2010 " File " . "

2– यह कि दिनांक 24/02/2010 को माननीय उ0प्र0राज्य सूचना आयोग के समक्ष Letter No.I.C.9165 Allahabad , Dated 22Feb.2010 प्रार्थी को प्राप्त कराया गया था, जिसमें यह अंकित है–

" .....the complaints are pending consideration of the court ."

इसके विरुद्ध प्रार्थनापत्र दिनांक24/02/2010 एवं 26/05/2010 भी प्रस्तुत किए गए है जो विचाराधीन हैं। माननीय उ0प्र0राज्य सूचना आयोग के समक्ष ही दिनांक 03/12/2010 को स्पष्ट बताया गया था कि शिकायत पर जांच प्रकिया अभी भी लंबित है।

3–यह कि पूर्व में दिनांक 22/02/2010 ,24/02/2010 एवं 03/12/2010 की स्वीकारोक्तियों एवं दिनांक 16/07/2011 की स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि माननीय एडमिनिस्टेटिव जज द्वारा जानबूझकर पिछली तारीख(back date) में आदेश पारित कर हस्ताक्षर किए गए है तथा सूचना देने में उपरोक्त रीति से जानबूझकर बाधा डाली है। समस्त निर्देशों की सम्पूर्ण जानकारी प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित प्रदान नहीं की गयी है।

4– यह कि प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित मांगी गयी है एवं सम्पूर्ण सूचना अत्यन्त पारदर्शितापूर्वक की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित है। मांगी गयी जानकारी का सम्बन्ध प्रार्थी एवं उसके परिवार के जीवन , स्वतन्त्रता एवं मानवाधिकारों के अतिक्रमण एवं हनन किए जाने से सम्बन्धित भी है।जिसे हर हालत में अब तक प्रार्थी को दे दी जानी चाहिए थी, परन्तु विनिर्दिष्ट समय के भीतर सम्पूर्ण सूचना नहीं दी गयी है। असद्भावपूर्वक तथा जानबूझकर अपरोक्ष रुप से सूचना देने से इन्कार किया गया है तथा असद्भावपूर्वक, जानबूझकर परस्पर विरोधाभाषी,अपूर्ण,गलत एवं भ्रामक सूचना देकर सम्पूर्ण सूचना देने में उपरोक्त रीति से बाधा डाली है। सूचना आवेदन के दिनांक से निरन्तर, लगातार प्रार्थी को हानि एवं अन्य नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है।

5– यह कि The Allahabad High Court (Right To Information) Rules,2006 की धारा 20(b) के अनुसार प्रत्येक सूचना माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय या उनके द्वारा नामांकित माननीय न्यायाधीश महोदय की अनुमति प्राप्त कर ही दी जा सकती है। इस प्रकार माननीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी के कार्यक्षेत्र में माननीय उच्चन्यायालय के दखल को नियमित किए जाने से माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय एवं उनके द्वारा नामांकित माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा की गई कार्यवाही भी माननीय केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी के समान माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग के अधीन है। इस कारण माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय अथवा उनके द्वारा नामांकित माननीय न्यायाधीश महोदय अथवा उनके द्वारा की गई कार्यवाही को तलब किया जाना आवश्यक है।

अतः विनम्र निवेदन है कि प्रश्नगत अपील के अनेक स्तरों पर हुए आदेशों से स्थापित कतिपय शिकायतों की जांच प्रकिया के निर्देशों, एकत्रित साक्ष्य, जांच आख्याओं, ब्यान आदि के संदर्भ में The Allahabad High Court (Right To Information) Rules,2006 की धारा 20(b) के अनुसार माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय या नामित माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा दी गई आवश्यक अनुमति के संदर्भ में उन्हें माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष तलब किया जाये जिससे यह ज्ञात हो सके कि उन्होंने क्या अनुमति देने से मना किया और क्यों ? साथ ही प्रार्थी को वांछित सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,माननीय उच्चन्यायालय इलाहाबाद को आदेशित किया जाये कि प्रश्नगत सभी शिकायतों की जांच के निर्देशों ,एकत्रित साक्ष्य,जांच आख्याओं ब्यानों आदि की प्रमाणित प्रतिलिपियां दिलायी जायें एवं सूचना का अधिकार अधिनियम2005 की धारा 19(8), (ख), (ग) एवं धारा 20 ,(1), (2)के अनुरुप पूर्ण कार्यवाही करने की कृपा करें एवं समस्त न्यायोचित प्रतिकार दिलाए जाने की कृपा करें।

श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

दिनांक–20/09/2011

प्रार्थी

वीरेश कुमार चौबे , एडवोकेट

सिविल लाईन , ललितपुर

सत्यापन– मैं वीरेश कुमार चौबे इस प्रार्थनापत्र के समस्त मजमून को अपने निजी ज्ञान से सत्यापित करता हूं कि सब सच व सही है,यह सत्यापन आज दिनांक20/09/2011 को स्थान ललितपुर में किया गया। ईश्वर मेरी मदद करे।

वीरेश कुमार चौबे , एडवोकेट

संलग्नक– छायाप्रतियां– 1– Letter No.I.C.2962 Allahabad , Dated 16 July, 2011

2– माननीयउ0प्र0रा0सू0आयोग के आदेशदिनांक03/12/2010एवं24/02/2010

3– Letter No.I.C.9165 Allahabad , Dated 22Feb.2010

वीरेश कुमार चौबे , एडवोकेट

अनुलग्नक-1

Registered Post

From,

Joint Registrar (E)/
Central Public Information Officer
High Court, Allahabad.

To,

Shri Viresh Kumar Chaubey(Advocate)
Civil Lines, Lalitpur, U.P.

Letter No. I.C. 2962

Allahabad, Dated 16 July, 2011

Subject: Information under Right to Information Act,2005.

Sir,

With reference to your application in which you have sought certain information under Right to Information Act,2005 regarding your complaint against Shri Narendra Bahadur Prasad, Civil Judge, Senior Division, Lalitpur under Right to Information Act,2005, you are hereby informed as under:-

Your complaint dated 28/08/2005 was also dealt with your application dated 12/09/2006 on which the Administrative Judge passed the order on 13/02/2010 " File."

Yours faithfully,

15.7.2011

Central Public Information Officer

Self Attested

वीरेश कुमार-चौबे संलग्नक -2(व)
V/S
PIO/ महानिबन्धक मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद

शि0सं0-एस5-01/ए/09

मा0श्री राम हरि विजय त्रिपाठी, राज्य सूचना आयुक्त

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी श्री वीरेश कुमार चौबे उपस्थित हैं। दूसरी ओर से श्री पी0एल0गुप्ता-सहायक निबंधक उपस्थित हैं। इस प्रकरण में परिवादी को दूसरे पक्ष के द्वारा स्पष्ट बता दिया गया है कि शिकायत पर जाँच प्रकिया अभी भी लंबित है। श्री चौबे ने कहना चाहा है कि उन्होंनें एक आपत्ति पत्र बाद में सम्प्रेषित करना चाहा था, उसके अनुसार उन्हें उत्तर चाहिए। उस आपत्ति पत्र की प्रति दूसरे पक्ष को दे दी गयी थी। दूसरे पक्ष को चाहिए कि 15 दिन के अन्दर उसका उत्तर श्री चौबे के पता पर उपलब्ध करा देवें। यह प्रकरण आगे विचारार्थ दिनांक 20.01.11 को लिया जावेगा। श्री वीरेश कुमार-चौबे (आवेदक)

ह0/-
(राम हरि विजय त्रिपाठी)

03/12/2010

सत्य प्रतिलिपि
Rizwan Ahmad
आहलमद
कार्या0मा0राज्य सूचना आयुक्त
न्यायालय संख्या-227-5

प्रति क्रमांक.......
आवेदन की तिथि 28/4/2011
जारी की तिथि 28/4/2011
...की तिथि 28/4/2011

Self Attested

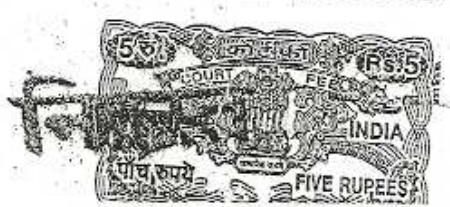

संलग्नक- 2(b)

(26)

श्री वीरेश कुमार चौबे

P.I.O. / कार्यालय - अपर जिला जज,
ललितपुर व अन्य।

T. 5X2-2010

शि0सं0-एस5-01/ए/09

मा0श्री राम हरि विजय त्रिपाठी, राज्य सूचना आयुक्त

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी श्री वीरेश कुमार चौबे उपस्थित हैं। दूसरी ओर से जनसूचना अधिकारी मा0उच्चन्यायालय इलाहाबाद श्री जी0के0श्रीवास्तव उपस्थित हैं। उन्होंने बताया कि श्री चौबे के द्वारा जो शिकायत की गयी है, वह विचाराधीन है। उस पर जब अंतिम रूप से कोई आदेश पारित होवेगा तो निदेशानुसार सूचना दी जावेगी। वे अपने साथ एक पत्र की प्रति लेकर आये हैं, वह श्री चौबे को प्राप्त करा दी जा रही है। श्री चौबे ने एक प्रार्थनापत्र यहाँ प्रस्तुत करना चाहा है, उसकी प्रति प्रतिवादी द्वौ को दी जा रही है। श्री चौबे की आपत्ति है कि श्री विजय नारायण बादल को यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि वे जनसूचना अधिकारी नहीं है। जिला जज, ललितपुर को निदिष्ट किया जाता है कि इस प्रकरण में वे अगली तिथि पर अपने जनसूचना अधिकारी को उपस्थित होने के लिए निदिष्ट करें। यहीं पर श्री चौबे द्वारा कहा गया है कि इस प्रकरण में 3 माह के बाद की कोई तिथि दे दी जावे जिससे मा0न्यायालय में कोई निर्णय हो जावे और वांछित सूचनाएं परिवादी को मिल जावे। इस प्रकरण में अगली सुनवाई हेतु तिथि 26.05.10 नियत की जाती है।

सत्य प्रतिलिपि

ह0/-
(राम हरि विजय त्रिपाठी)
आयुक्त
दिनांक 24/2/2010

(मुमताज अहमद)
प्रभारी नकल अनुभाग
उ0प्र0 सूचना आयोग
लखनऊ।

क्रमांक ......31......
आवेदन के तिथि ...24-2-10
तैयारी की तिथि 26-2-10

श्री वीरेश कुमार चौबे (परिवादी)

Self Attested

अनुलग्नक-3

Regd. A.D.

From,

Joint Registrar (E)/
Central Public Information Officer
High Court, Allahabad.

To,

Sri Viresh Kumar Chaubey(Advocate)
Civil Lines, Lalitpur, U.P.

Letter No. I.C.916 Allahabad, Dated 22 Feb. 2010

Subject: Information sought by you under Right to Information Act,2005.

Sir,

With reference to your application received from District Judge, Lalitpur vide letter no. 770/XV dated 04/12/2009 in which you have sought certain information under section 6(1) of the Right to Information Act-2005 read with Rule 7 of the Allahabad High Court (Right to Information) Rules, 2006, regarding your complaints you are hereby informed that **the complaints are pending consideration of the Court.**

Your's faithfully,

22.2.10

Central Public Information Officer

Self Attested